ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L00-31/2017

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer* **मेसर्स अंजली ड्रायर्स, इंदौर**	*Signature of parties or pleaders where necessary*
12-01-2018	दिनांक 12.01.2018 को सुनवाई में आवेदक की ओर से श्री एम.डी. गोयल, सलाहकार उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री अभय पाण्डे, सहायक यंत्री उपस्थित हुए। 2 सुनवाई के प्रारंभ में आवेदक के सलाहकार द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अपील जिसमें कि मीटर में दर्ज एम.डी. 55.52 को निरस्त करके वसूल की गई पेनाल्टी की राशि रूपये 7500/– वापिस दिलावाई जाये तथा मीटर बदलने की तिथि से 11 वर्ष का डिप्रीशिएशन की राशि रूपये 5247/– को वापिस लौटाये जाएं। 3 अनावेदक द्वारा बताया गया मी मीटर का परीक्षण करने के उपरांत मीटर की एमआरआई में यह पाये जाने पर कि मई 2017 में दर्ज एमडी 55.52 किलोवाट वास्तविक न होकर मीटर के आंतरिक त्रुटि के कारण शूटअप हुई थी जिसका निराकरण कर राशि 15845/– का समायोजन आवेदक के नवंबर 2017 के देयक में दिया जा चुका है। आवेदक द्वारा इस संबंध में अपनी सहमति दी गई। 3 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनसे मीटर की जमा की गई कास्ट में से केवल डिप्रीशिएशन कास्ट ली जाकर बाकी राशि वापिस की जाए। तदनुसार इस संबंध में अनावेदक को निर्धारित विधि के अनुसार डिप्रीशिएशन मूल्य की गणना कर उसका भी समायोजन आवेदक के विद्युत देयक में करने हेतु निर्देशित किया गया । अनावेदक को उक्त राशि का समायोजन कर पालन प्रतिवेदन 10 दिनों में भेजने हेतु कहा गया। 4 उक्तानुसार प्रकरण निराकृत कर नस्तीबद्ध किया जाता है। **विद्युत लोकपाल**	